अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रिर्पोटेबल
(प्रतिवेद्य)

उच्चतम न्यायालय के समक्ष
सिविल अपीलेट क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 9828/2013

डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट व मैनेजमेंट सोसायटी व अन्य । **.....अपीलकर्ता**

बनाम

निदेशक, पब्लिक इंस्ट्रकशनस (लोक निदेशक) व अन्य **.....उत्तरवादी**

साथ में

सिविल अपील संख्या 9844–9845/2013

सिविल अपील संख्या 9846–9857/2013

सिविल अपील संख्या 9860/2013

निर्णय

दीपक गुप्ता, न्यायाधीश.

इस मामले में विचार करने के लिए मुद्दा यह है कि क्या गैर सरकारी संगठन जो कि काफी हद तक उपयुक्त सरकार द्वारा वित्तपोषित है, सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत 'लोक–प्राधिकारी' (पब्लिक अथारिटी) के दायरे में आते है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') संसद द्वारा वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था और इसका उद्येश्य नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यवहारिक शासन स्थापित करना है, जिससे वे सूचना तक पहुँच सुनिश्चित कर सके। इस अधिनियम के उद्येश्य और कारण के प्रासंगिक भाग इस प्रकार से हैः–

> ".....और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनो के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोधाभास हो सकता है;

और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

3. अधिनियम के तहत, एक लोक प्राधिकारी/प्राधिकरण को अध्याय II के अनुसार रिकार्ड बनाए रखना जरूरी है और प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकारी/प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। 'लोक प्राधिकारी/प्राधिकरण अधिनियम की धारा 02 (एच) में परिभाषित है, जो इस प्रकार हैः–

..... "एच "लोक प्राधिकारी" से –

(ए) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(बी) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(सी) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(डी) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत हैं,

और इसके अन्तर्गत,–

(i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।"

4. हमारे सामने सभी अपीलार्थी महाविद्यालय और/या विद्यालय चलाने वाले महाविद्यालय या संघ हैं और उनका दावा है कि गैर सरकारी संगठन अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं । अपीलकर्ताओ के अनुसार, अधिनियम का उद्धेश्य केवल सरकार और उसकी सहायक इंसटरूमेंटेलीटीज़ (अभिकरणों/माध्यमों) को कवर (समाविष्ट) करना था जो सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। यह भी आग्रह किया गया है कि 'लोक प्राधिकरण/प्राधिकारी' शब्द का अर्थ किसी भी प्राधिकारी/प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकार से है और

ऐसे निकाय या संस्था का गठन संविधान के तहत, या संसद के किसी कानून द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या किसी उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा किया जाना चाहिए।

5. यह आग्रह किया गया है कि जब तक खण्ड (डी) के तहत कोई विशिष्ट अधिसूचना जारी नही की जाती है तब तक धारा 2 (एच) के खंड (ए) से (सी) के दायरे के बाहर के किसी निकाय या संस्थान सार्वजनिक प्राधिकरण/प्राधिकारी नहीं माना जा सकता है। यह भी आग्रह किया गया है कि ऊपर बताए अनुसार चार प्रकार के सार्वजनिक प्राधिकारी/प्राधिकरण हैं यानि, जो (ए) संविधान के तहत, (बी) संसद के किसी अधिनियम द्वारा, (सी) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा, या (डी) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा गठित हुआ हो। किसी अन्य प्राधिकारी/प्राधिकरण को सार्वजनिक प्राधिकारी/प्राधिकरण नहीं माना जा सकता है। चूंकि अपीलकर्ता उपरोक्त चार श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक प्राधिकारी/प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है।

6. जहां तक पब्लिक अथॉरिटी (सार्वजनिक प्राधिकारी/प्राधिकरण) की परिभाषा का ताल्लुक है, तो इस न्यायालय ने इस मामले को थलप्पलम सर्विस कोऑरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य[1] में विस्तार से निपटाया है। हालांकि, यह उल्लेख करना उचित होगा कि उस मामले में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने परिपत्र संख्या 23/2006 जारी किया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि सभी सहकारी समितियां अधिनियम के दायरे में आएंगी। इस अधिसूचना को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। अधिनियम की धारा 2 (एच) के संबंध में, इस न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय में यह कहा कि:

> "30. विधायिका ने, अपनी समझ के अनुसार, धारा 2 (एच) के तहत अभिव्यक्ति "सार्वजनिक प्राधिकरण/प्राधिकारी" को परिभाषित करते हुए, केवल उन श्रेणियों को अपनाने का इरादा रखती है, जो विशेष रूप से शामिल है, जब तक कि अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा की आवश्यकता नहीं है। धारा 2(एच) ने "का अर्थ है" और "शामिल है" का उपयोग किया है। जब किसी शब्द को "मतलब" के लिए परिभाषित किया जाता है, तो परिभाषा प्रथम दृष्टया निरोधात्मक है और जहां शब्द को किसी अन्य चीज में "शामिल" करने के लिए परिभाषित किया गया है, परिभाषा प्रथम दृष्टतया व्यापक है। लेकिन जब दोनों अभिव्यक्तियों "मतलब" और शामिल का उपयोग किया जाता है, तो वहां उल्लिखित श्रेणियां खुद को समाप्त कर लेंगी। अभिव्यक्तियों "मतलब" और "शामिल है" के अर्थ इस न्यायालय द्वारा डी.डी.ए. बनाम

1(2013) 16 एस सी सी 82

भोला नाथ शर्मा (पैरा 25 से 28 में) स्पष्ट किए गए है। जब इस तरह के भावों का उपयोग किया जाता है तो वे अर्थ का विस्तृत विवरण, जो अधिनियम के उद्येश्य के लिए अनिवार्य रूप से उन शब्दों और अभिव्यक्तियों से जुड़े होने चाहिए, का वहन कर सकते है।

31. धारा 2(एच) वहाँ वर्णित श्रेणियों को समाप्त करता है। धारा 2 (एच) का पहला भाग निम्नलिखित से संबद्ध हैः

(1) संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित एक प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्थान

(2) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित या गठित एक प्राधिकरण/प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्थान

(3) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित या गठित एक प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्थान, और

(4) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित एक प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्थान।

32. सोसाइटी, जिनके साथ हम संबद्ध है, उनके संदर्भ में यह माना गया है कि वे उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते है, क्योंकि उनमें से कोई भी एक निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था, जिसे संविधान द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उपयुक्त सरकार द्वारा जारी या बनाई गई अधिसूचना के माध्यम से बनाया गया हो, नही है। आइए, अब हम जाँच करे कि क्या वे अधिनियम की धारा 2(एच) के बाद वाले (अनुवर्ती) भाग में आते हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैः–

(5) कोई ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है,

(6) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।"

7. इस स्तर पर हम इस बात की ओर ध्यान दे सकते है कि थलप्पलम मामले में (सुप्रा) एक आदेश जारी किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि सहकारी समितियां अधिनियम के दायरे में आएंगी। इस आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सहकारी समितियां न तो सरकार के स्वामित्व

वाली, नियंत्रित की जाने वाली और/या सरकार द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित निकाय थी और न ही उन्हें एन.जी. ओज कहा जा सकता है जो कि उचित सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित हुई हो।

8. यह व्याख्या का सुव्यवस्थित वैधानिक नियम है कि जब परिभाषा के खंड में कुछ शब्दों का अर्थ दिया जाता है तो केवल उस अर्थ को ही उन शब्दों को देना होगा। हालाँकि, जब परिभाषा खंड में 'means and includes' (इसका मतलब है और इसमें शामिल है) शब्द होते है तो इन दोनों शब्दों पर आवश्यक जोर दिया जाना चाहिए और एक शब्द दूसरे को ओवरराईड (निरस्त) नहीं कर सकता है।

9. पी. कासिलिंगम बनाम पी.एस.जी प्रोद्योगिकी कॉलेज और अन्य[2] में यह न्यायालय अभिव्यक्ति 'means and includes' (इसका मतलब है और इसमें शामिल है) से संबद्ध था, जिसमें न्यायमूर्ति एस.सी अग्रवाल ने यह पाया था कि :–

> "19. .....किसी विशेष अभिव्यक्ति को अकसर विधायिका द्वारा 'अर्थ ' या 'इसमें शामिल है' शब्द का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है। कभी कभी 'means and includes' (अर्थ है और इसमें शामिल है) शब्दों का उपयोग किया जाता है । 'Means' (अर्थ) शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि "परिभाषा" एक कठोर/अडिग परिभाषा है और यह कि परिभाषा में कोई अन्य अर्थ निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। (देखें: गोह बनाम गोह; पंजाब भूमि विकास और उद्धार कारपोरेशन लिमिटेड़ बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय।) जब शब्द "शामिल है" का उपयोग किया जाता है, तो यह अभिव्यक्त किए गए शब्द का दायरा/अर्थ बढ़ाता है ताकि परिभाषित की गई चीजें केवल ऐसी चीजों को न समझे, जैसा कि वे अपने प्राकृतिक अर्थ के अनुसार इंगित करते है लेकिन उन चीजों को भी जिनके बारे में खंड घेषित करता है कि वे भी शामिल होंगी। दूसरी ओर "अर्थ है और शामिल है" शब्द "अर्थ के एक विस्तृत विवरण की ओर इंगित करते है, जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इन शब्दों या अभिव्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से संलग्न होने चाहिए"। (देखें: डिलवर्थ बनाम कमिश्नर ऑफ स्टैम्पस (लार्ड वाटसन); महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम स्टेट ऑफ ए.पी.) इसलिए, नियम 2 (बी) में "अर्थ है और शामिल है "शब्दों का उपयोग यह सुझाव देते है कि "कॉलेज" की परिभाषा से प्रयोजन संपूर्ण/विस्तृत व्याख्या से है और इसका विस्तार न हो और यह

.————————————

2(1995) सप 2 एस सी सी 348

केवल नियम 2 (बी) की श्रेणियों के तहत आने वाले निर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों को ही कवर करेगा और इसमें अन्य शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित नहीं होते है। जहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात है, उनका अपवाद/छोड़ाव इस कारण से हो सकता है कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के उदघाटन और संचालन का नियंत्रण तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड और तकनीकी शिक्षा निदेशक के माध्यम से ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाता है.....।

इस निर्णय का अनुसरण भारत को–आप–बैंक (मुंबई) लिमिटेड़ बनाम बैंक कर्मचारी संघ[3] और दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम भोला नाथ शर्मा (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा और अन्य[4] ।

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'अर्थ' शब्द दर्शाता है कि परिभाषा संपूर्ण/विस्तृत और मुकम्मल है। यह एक कठोर परिभाषा है और इसका कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है। दूसरी ओर, शब्द "शामिल है" अभिव्यक्ति के दायरे को बढ़ाता है। शब्द "शामिल" का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि परिभाषा खंड में दिए गए अर्थ से परे, भाषा की प्रकृति और प्रावधान की वस्तु को ध्यान में रखते हुए अन्य मामलों को शामिल किया जा सकता है। पी. कासीलिंगम के मामले (सुप्रा) शब्द "अर्थ है और इसमें शामिल है" का उपयोग किया गया है, लेकिन वर्तमान मामले में शब्द "का अर्थ है" का उपयोग धारा 2 के उप–भाग (एच) के पहले भाग में किया गया है जबकि शब्द "शामिल है" का इस्तेमाल उक्त धारा के दूसरे भाग में किया गया है। उनका एक साथ उपयोग नहीं किया गया है।

11. हमारे समक्ष उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि खंड 2 (एच) के शुरूआती हिस्से में प्रयोग होने वाला शब्द "स्व–सरकार," "प्राधिकरण", "निकाय" या "संस्था" शब्दों को नियंत्रित करेगा। यह आग्रह किया गया है कि केवल ऐसे प्राधिकरण, निकाय या संस्थाए जो वास्तव में स्व–शासन से संबंधित है, सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किए जा सकते है। इस आपत्ति को सिरे से खारिज करना होगा। शुरूआती पंक्तियों में तीन श्रेणियां हैं (ए) प्राधिकरण/प्राधिकरण; (बी) निकाय; और (सी) स्व–शासित संस्थाएँ। इस संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है और इसलिए, हम इस विवाद को खारिज करते हैं।

12. अगला तर्क यह है कि एक सार्वजनिक प्राधिकारी/प्राधिकरण के केवल वह प्राधिकारी/प्राधिकरण या निकाय या संस्था हो सकती है जिसे (ए) संविधान के तहत स्थापित या गठित किया गया; (बी) संसद के किसी कानून द्वारा स्थापित या गठित किया गया है; (सी) राज्य विधानमंडल के किसी कानून द्वारा स्थापित या गठित

———————

3.(2007) 4 एस सी सी 685

4. (2011) 2 एस सी सी 54

किया गया है या (डी) उपयुक्त सरकार द्वारा की गई अधिसूचना द्वारा स्थापित या गठित किया गया है। अपीलकर्ताओ का तर्क यह है कि केवल उन प्राधिकारियों/प्राधिकरणों, निकायों या स्वायत्त संस्थानों, जो इन चार श्रेणियों में आते है, उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि थलप्फलम मामले में (सुप्रा) न्यायालय ने परिभाषा के शेष हिस्से पर खंड (डी) के प्रभाव पर विचार नहीं किया ।

13. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि धारा 2 (एच) के पढ़ने से स्पष्ट है कि पहले भाग में निर्दिष्ट चार श्रेणियों के अलावा, एक समावेशी भाग भी शामिल है जिसमें (i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अनुभाग/खंड कलात्मक रूप में नहीं लिखा गया है और इसलिए, धारा का विश्लेषण करने के लिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसके सही अर्थ का पता लगाए और इसकी इस तरीके से व्याख्या करें, जो अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करता है।

15. यदि हम धारा 2 (एच) का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते है तो यह स्पष्ट है कि धारा 2 (एच) का पहला भाग उन प्राधिकरणों/प्राधिकारियों, निकायों या संस्थाओं से संबंधित है, जो (ए) संविधान के अधीन (बी) संसद के किसी कानून द्वारा; (सी) राज्य विधानमंडल के किसी कानून द्वारा या उपयुक्त सरकार द्वारा की गई अधिसूचना द्वारा स्थापित या गठित की गई हो, से संबंधित है। खंड (ए) से (सी) के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक खंड (डी) का संबंध है, अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है जिसमें यह अधिसूचित किया गया हो कि कोई प्राधिकारी/प्राधिकरण, निकाय या स्वायत्त संस्था अधिनियम के दायरे में लायी गई है, उक्त अधिनियम लागू नहीं होगा। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं है। खंड (डी) में परिकल्पित की गई अधिसूचना निकाय की स्थापना या गठन से संबंधित अधिसूचना है और इसका अधिनियम से कोई लेना–देना नहीं है। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा स्थापित या गठित किया जाता है, तो कोई भी प्राधिकारी/प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त संस्था, अधिनियम की धारा 2(एच) के खंड (डी) के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक प्राधिकारी/प्राधिकरण होगा।

16. हमें ध्यान देना चाहिए कि खंड (डी) के अंत के बाद एक अल्पविराम और एक बड़ा अंतर है और फिर परिभाषा आगे बढ़ती है और कहती है "और इसमें शामिल है कोई–" और उसके बाद परिभाषा इस प्रकार हैः–

"(i) ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

हमारे विचार में, "और इसमें शामिल है कोई 'शब्द पहले भाग की तुलना में परिभाषा का विस्तार करते हैं । परिभाषा का दूसरा भाग एक समावेशी खंड है जो धारा 2 (एच) के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित निकायों के अलावा अन्य निकायों को कवर करने के लिए विधानमंडल की मंशा को इंगित करता है।

17. हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि परिभाषा के दूसरे भाग में उप खंड (i) और (ii) में उल्लिखित निकाय और गैर सरकारी संगठन, खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित चार श्रेणियों के अलावा है। खंड (ए) से (डी) केवल उन निकायों आदि को कवर करते है, जिन्हें उसमें निर्धारित चार तरीकों से स्थापित या गठित किया गया है। परिभाषा में एक समावेशी खंड जोड़कर, संसद ने दो और श्रेणियों को जोड़ने का इरादा किया, पहला उप खंड (i) में है, जो उन निकायों से संबंधित है जो उपयुक्त सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। ये ऐसे निकाय हो सकते जिनका गठन संविधान द्वारा या उसके अधीन, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या किसी अधिसूचना द्वारा नहीं किया गया हो। कोई भी निकाय जो सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पर्याप्त/सारभूत रूप से वित्तपोषित है, एक सार्वजनिक प्राधिकारी/प्राधिकरण होगा।

18. जहाँ तक उप खंड (ii) का संबंध है, यह उपयुक्त सरकार द्वारा पर्याप्त/सारभूत रूप से वित्तपोषित गैर सरकारी संगठनों से संबंधित है। जाहिर है, ऐसा गैर सरकारी संगठन सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं हो सकता। इसलिए, यह केवल वित्तपोषण का सवाल है, जो प्रासंगिक है।

19. यहां तक कि थलपल्लम मामले (सुप्रा) में निर्णय के पैरा 32 में इस अदालत ने माना कि चार श्रेणियों के अलावा दो और श्रेणियां (5) और (6) होंगी।

20. एक कानून के उद्देश्यपूर्ण निमार्ण का सिद्धांत एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है जिसे हमारे न्यायशास्त्र में शामिल किया गया है। एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या देते समय, एक न्यायालय को विधायिका या कानून के लेखक की कुर्सी पर खुद को रखने की आवश्यकता होती है। प्रावधान का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो कि अधिनियम का उद्देश्य पूरा होता है। जाहिर है, अगर अधिनियम की भाषा स्पष्ट है, तो भाषा का पालन करना होगा, और न्यायालय अपनी व्याख्या नहीं दे सकती है। हालाँकि, यदि भाषा दो अर्थो को स्वीकार करती है, तो न्यायालय उद्देश्यों और कारणों को संदर्भित कर सकती है, और

प्रावधानों के सही अर्थ का पता लगा सकती है जैसा कि अधिनियमन के लेखकों द्वारा आशयित/अभिप्रेत किया गया है। न्यायमूर्ति एस.बी.सिन्हा ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ बनाम नुसली नेविले वाडिया और अन्य[5] में यह पाया था कि :–

> "51..... एक तर्कसंगत तरीके से एक कानून की व्याख्या देने के लिए, न्यायालय को तर्कसंगत विधायक/लेखक की कुर्सी पर स्वयं को रखना चाहिए। ऐसा किए जाने के उपरांत, उद्येश्यपूर्ण निर्माण के नियमों का सहारा लेना होगा, जिसके लिए अधिनियम के निर्माण की आवश्यकता इस तरह से होगी ताकि यह देखा जा सके कि अधिनियम का उद्येश्य पूरा हो गया है; जो बदले में वैधानिक योजना के तहत लाभार्थी को अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने की ओर अग्रसर करेगा, जैसा कि न्यायालय ने अशोक मार्केटिंग लिमिटेड में अन्य बातों के साथ साथ माना/पाया था।" न्यायमूर्ति सिन्हा ने कानून में उद्येश्यपूर्ण व्याख्या पर बराक के ग्रंथ[6] से निम्नलिखित अंश अनुमोदन के साथ उद्धत किया, जो इस प्रकार से हैः–
>
> "52..... ऐसा प्रतीत होता है कि हार्ट और सैक्स भी "उद्येश्य" को व्यक्तिपरक अवधारणा के रूप में मानते है। मैं कहता हूँ कि "प्रतीत", क्योंकि हालांकि हार्ट और सैक्स का दावा है कि व्याख्याता को खुद को विधायक के स्थान पर कल्पित करना चाहिए, वे विषय–निष्ठता के दो तत्वों से परिचय करवाते हैः सबसे पहले, व्याख्याता को यह मान लेना चाहिए कि विधायिका तर्कसंगत तरीके से तर्कसंगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत लोगों से बना है; और दूसरा व्याख्याता को यह अखंडनीय रूप मे स्वीकार करना चाहिए कि विधायी निकाय के सदस्यों ने नेकनीयती से अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने की चाह रखी थी। यह सूत्रीकरण व्याख्याता को लेखक के व्यक्तिपरक इरादे के बारे में जाँच करने की अनुमति नहीं देता है, बल्कि इस बारे में कि लेखक का इरादा क्या होता यदि उसने एक तर्कसंगत तरीके से कार्यवाही अमल में लाई होती।"

21. अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कोमाचेन (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा, और अन्य[7] में न्यायमूर्ति एम.बी लोकुर ने यह माना/पाया था किः–

———————

5,(2008) 3 एस सी सी 279

6.2008 3 एस सी सी 279:अहरोन बराक, कानून में उद्येश्यपूर्ण व्याख्या,(2007) पृष्ठ 87 पर ।

7. (2017) 2 एम सी सी 629

"39. .....आमतौर पर, यदि किसी कानून का मसौदा बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है और उस पर संसद में बहस की जाती है तो कानून की शाब्दिक व्याख्या के अलावा कोई भी व्याख्या **अपनाने** की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हमारे जैसे एक कल्याणकारी राज्य में, लोगों के लाभ के लिए क्या करना है, यह कानून के मजमून में पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होता है। इस तरह के विधानों में, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और कानून का उद्येश्यपूर्ण और वास्तविक रूप से व्याख्या की जाती है ताकि लाभ जनता तक पहुँचे ....."

22. इसलिए, हमारे विचार में, धारा 2 (एच) छह विभिन्न श्रेणियों से संबंधित है और दो अतिरिक्त श्रेणियों का उल्लेख उप खंड (i) और (ii) में किया गया है। कोई भी अन्य व्याख्या खंड (i) और (ii) को पूरी तरह से निर्रथक बना देगी क्योंकि तब एक एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संस्था) को कभी भी कवर नहीं किया जा सकता है। एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संस्था) को विशेष रूप से लाने से यह स्पष्ट है कि संसद का उद्येश्य उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित इन दो श्रेणियों को खंड (ए) से (डी) तक में उल्लिखित चार श्रेणियों के अलावा शामिल करना था। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उचित सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, से सारभूत रूप से वित्तपोषित कोई एन.जी.ओ (गैर सरकारी संस्थान) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकारी/प्राधिकरण होगा।

23. एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संस्थान) को अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, जहाँ तक कि हम इससे संबंधित है। वास्तव में, गैर सरकारी संगठन शब्द का उपयोग पहली बार एक अंतराष्ट्रीय निकाय का वर्णन करने के लिए किया गया है, जो कानूनी तौर पर गठित है लेकिन प्रकृति में गैर सरकारी है। यह सरकार द्वारा बिना किसी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के प्राकृतिक या कानूनी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। यहां तक कि एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठन/संस्थान) जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकारों द्वारा वित्तपोषित है, वे अनिवार्य रूप से अपने सभी संगठनों में सरकारी प्रतिनिधित्व को छोड़कर, गैर सरकारी संगठन/संस्थान का दर्जा रखती है। कुछ न्यायशास्त्रों में उन्हें नागरिक समाज संगठनों के रूप में भी जाना जाता है।

24. एक ऐसी सोसाइटी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास नहीं है, एक गैर सरकारी संगठन हो सकती है, लेकिन अगर सरकार द्वारा इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित किया जाए तो यह उपवर्ग (ii) के दायरे में आएगा।

25. यह हमें अपीलकर्ताओं के तर्क के दूसरे अंग तक पहुंचाता है कि कॉलेज/स्कूल पर्याप्त/सारभूत रूप से वित्तपोषित नहीं है। इस संबंध में, हम फिर से थलप्पलम मामले (सुप्रा) में फैसले का संदर्भ दे सकते है, जिसमें इस न्यायालय ने सारभूत/पर्याप्त वित्तपोषण के मामले से निपटते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीः–

> "47. हम अक्सर "कानून के सवाल" और "कानून के ठोस/सारभूत बड़ा सवाल" अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल करते है और स्पष्ट करते हैं कि पार्टियों के अधिकार को प्रभावित करने वाले कानून का कोई भी प्रश्न कानून का एक ठोस/बड़ा/सारभूत प्रश्न नहीं होगा। ब्लैक के कानूनी शब्दकोश (6 वें संस्करण) में "ठोस/सारभूत" शब्द को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार से हैः
>
> "सारभूत/ठोस–वास्तविक मूल्य और महत्व का; काफी मूल्य का; मूल्यवान। पदार्थ से संबंधित; वास्तव में विद्यमान; असली; काल्पनिक या अवास्तविक नहीं; भ्रामक/आभासी नहीं; ठोस; सच; सत्य। ....कुछ सार्थक जो कि किसी मूल्यहीन या नाममात्र की मूल्य की किसी चीज/वस्तु से अलग .....ठोस/आवश्यक/महत्वपूर्ण का पर्याय ।
>
> ठोस/आवश्यक/महत्वपूर्ण शब्द को "अनिवार्य रूप से " के रूप में परिभाषित किया गया है; बिना किसी महत्वपूर्ण/वस्तुगत योग्यता के; मुख्यता से; अर्थ/तत्व/सार में; सारतः/तान्विक रूप से। शार्टर (छोटी) ऑक्सफोर्ड अंग्रजी शब्दकोश (5वां संस्करण) में, शब्द "ठोस/आवश्यक/महत्वपूर्ण" का अर्थ है, "पर्याप्त या काफी मात्रा में; बड़ा; काफी बड़ा, वास्तविक महत्व का या मूल्य का; वास्तविक महत्ता का; ठोस; भारी; महत्वपूर्ण; सार्थक; किसी कार्य/कृत्य का; माप आदि का; जिसमें बल या प्रभाव हो; प्रभावी, सम्पूर्ण/विस्तृत"। शब्द "ठोस/आवश्यक/महत्वपूर्ण" को " अर्थ/तत्व/सार में" के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है; एक ठोस/आवश्यक/महत्वपूर्ण चीज या वस्तु के रूप में; अनिवार्य रूप से; आंतरिक रूप से। इसलिए, "ठोस/आवश्यक/महत्वपूर्ण" शब्द का पर्याप्त "प्रमुख" या "बहुमत" से नहीं है। यह "महत्वपूर्ण/वस्तुगत या "जरूरी/आवश्यक" या "काफी महत्व का" के करीब है। "मूलतः/वस्तुतः" "अनिवार्य रूप से" करीब है। दोनों शब्द संदर्भ के आधार पर अलग अलग डिग्री (मात्रा/अंश) का संकेत कर सकते है।
>
> 48. सिर्फ सब्सिडी, अनुदान, छूट, विशेषधिकार आदि, या इस जैसी अन्य प्रक्रियाए, इन्हें "काफी हद तक (सारभूत) धन मुहैया कराना नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि रिकार्ड यह न दर्शा दे कि यह फंडिंग (वित्तपोषण) निकाय के लिए सारभूत/ठोस इस हद तक थी कि व्यवहारिक रूप से उस फंडिंग (वित्तपोषण) से ही वह निकाय चलता है और यह कि इस तरह के वित्तपोषण (फंडिंग) क अभाव में, यह निकाय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा।

राज्य सहकारिता क्षेत्र की बेहतरी और कल्याण के लिए आम तौर पर कई योजनाओं को भी चला सकते हैं, जैसे जमा गारंटी योजना, नाबार्ड (NABARD) से सहायता की योजना आदि, लेकिन उन सुविधाओं या सहायता को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 (एच) (डी) (i) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण/प्राधिकारी" की परिभाषा के भीतर लाने के लिए "सारभूत/ठोस रूप से वित्तपोषित" के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है । लेकिन, ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ उन निजी शिक्षण संस्थानों को जो उपयुक्त सरकार द्वारा निन्यानवे प्रतिशत अनुदान प्राप्त करते है, उनको धारा (एच) (डी) (i) के तहत दी गई सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में लाया जा सकता है।

26. हमारे विचार में, "ठोस/पर्याप्त/वस्तुगत" का अर्थ है, "बड़ा हिस्सा"। यह जरूरी नहीं है कि इसका अर्थ, "एक प्रमुख भाग" या "50% से अधिक" है। इस संबंध में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है। सारभूत/ठोस वित्तपोषण प्रत्यक्ष या अप्रतयक्ष दोनों तरह से हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी शहर में भूमि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या अन्य निकायों को मुफ्त में या भारी छूट पर दी जाती है, तो यह अपने आप में सारभूत/ठोस/पर्याप्त वित्तपोषण हो सकता है। इस तरह की एक संस्था की स्थापना, अगर यह सस्ते मूल्य पर भूमि प्राप्त करने के लिए राज्य की उदारशीलता/दानशीलता पर निर्भर है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह सारभूत/ठोस रूप से वित्तपोषित है। केवल इसलिए कि राज्य का वित्तीय योगदान वास्तविक वित्तपोषण के दौरान कम हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि दिए गए अप्रत्यक्ष वित्त को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। भूमि के मूल्य का मूल्यांकन न केवल आबंटन की तारीख पर किया जाएगा, बल्कि उस तिथि पर भी जब यह सवाल उठेगा कि क्या उक्त निकाय या गैर सरकारी संगठन सारभूत/ठोस पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है।

27. क्या कोई गैर सरकारी संस्थान या निकाय सरकार द्वारा सारभूत/ठोस रूप से वित्तपोषित है, यह तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना है। ऐसे मामले भी हो सकते है जहॉ वित्तपोषण 50% से अधिक है लेकिन फिर भी इसे सारभूत/ठोस/पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं कहा जा सकता है। मान लीजिए, एक छोटे से गैर सरकारी संगठन जिसकी कुल पूँजी रूपये दस हजार है, इसे सरकार द्वारा रूपये पाँच हजार का अनुदान मिलता है, हालाँकि यह अनुदान 50% हो सकता है, पर इसे सारभूत/ठोस/पर्याप्त योगदान नहीं कहा जा सकता है। दूसरी ओर, यदि किसी निकाय या गैर सरकारी संगठन को अनुदान के रूप में करोड़ो रूपये मिलते है, लेकिन यह राशि 50% से कम है, तो भी इसे पर्याप्त/सारभूत/ठोस रूप से वित्तपोषित कहा जा सकता है।

28. सारभूत/पर्याप्त/ठोस वित्तपोषण पता लगाने के लिए एक अन्य पहलू यह है कि निकाय, प्राधिकरण/प्राधिकारी या गैर सरकारी संगठन सरकार से वित्तपोषण प्राप्त किए बिना अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। यदि इसका कामकाज सरकार के वित्तपोषण पर निर्भर है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कहा जाना चाहिए।

29. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय और यह तय करते समय कि सारभूत/पर्याप्त/ठोस वित्तपोषण क्या है, अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा। इस अधिनियम को सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन में इमानदारी लाने के उद्येश्य से लागू किया गया था। यदि गैर सरकारी संगठनों या अन्य निकायों को सरकार से पर्याप्त/सारभूत/ठोस वित्तपोषण प्राप्त होता है, तो हमें कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है कि क्यों कोई भी नागरिक यह जानने के लिए जानकारी नहीं मांग सकता है कि क्या उसका धन, जो कि गैर सरकारी संगठन या किसी अन्य निकाय को दिया गया है, अपेक्षित उद्येश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं।

30. कानून के पूर्वोक्त प्रस्ताव के आलोक में, जब हम मामलों को अलग–अलग करके जाँच करना प्रस्तावित करते है।

सिविल अपील संख्या 9828/2013

31. यह डी.ए. बी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसायटी, नई दिल्ली; डी.ए.वी. कॉलेज, चंडीगढ़; एम.सी.एम. डी.ए.बी.कॉलेज, चंडीगढ़ और डी.ए.वी.सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंडीगढ़ द्वारा दायर की गई है।

32. अपीलकर्ता संख्या 01 यह सोसायटी है जो विभिन्न कॉलेजों/स्कूलों को चलाती है लेकिन प्रत्येक की अपनी पहचान है और, हमारे विचार में, प्रत्येक कॉलेज/स्कूल अधिनियम के अर्थ के अंर्तगत एक सार्वजनकि प्राधिकरण है। यह आग्रह किया गया है कि इन कॉलेजों/स्कूलों में सरकार द्वारा सारभूत/ठोस पर्याप्त रूप से वित्तपोषण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वे सरकार से वित्तपोषण का 50% से अधिक प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए दस्तावेज खुद बताते है कि एम. सी. एम. डी. ए. वी. कॉलेज, चंडीगढ़ को वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 में, प्रत्येक वर्ष 1.5 करोड़ से अधिक का अनुदान प्राप्त किया, जो कॉलेज के खर्च का लगभग 44% था। जहाँ तक डी.ए.वी. कॉलेज, चंडीगढ़ का संबंध है, इन तीन वर्षों के लिए अनुदान 3.6 करोड़ से 4.5 करोड़ रूए से अधिक की रेंज में है और प्रतिशत के संदर्भ में यह प्रत्येक वर्ष के लिए कुल वित्तीय परिव्यय का 40% से अधिक है। ऐसी ही स्थिति डी.ए.वी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंडीगढ़ की है, जहाँ राज्य का योगदान 44% से अधिक है।

33. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जहाँ तक कॉलेजों का संबंध है, यह है कि कॉलेज के शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का 95% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। कॉलेज द्वारा दिखाए गए शेष खर्चो का एक बड़ा हिस्सा छात्रावासों आदि के संबंध में है। यह शिक्षण है जो कॉलेज का आवश्यक हिस्सा है न कि छात्रावास या अन्य बुनियादी ढाँचे जैसे सभागार आदि। राज्य ने यह दिखाने के लिए सामग्री (तथ्य) रिकार्ड पर रखे है कि अब ये अनुदान सारभूत/पर्याप्त रूप से बढ़ गया है और 2013–14, 2014–15 और 2015–16 में, डी.ए.वी. कॉलेज, चंडीगढ़ को वार्षिक रूप से 15 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई; एम.सी.एम.डी.ए.बी. कॉलेज, चंडीगढ़ को वार्षिक रूप से 10 करोड़ रूपय से अधिक की राशि प्राप्त हुई और डी.ए.वी. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंडीगढ़ को सालाना 4(चार) करोड़ रूपये से अधिक का अनुदान प्राप्त हुआ। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा प्र्याप्त/सारभूत रूप से वित्तपोषित है

34. सुनवाई के दौरान, उत्तरदाताओ के विद्धान वकील द्वारा कुछ जानकारी रिकार्ड पर रखी गई थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक इन संस्थानों को कितना फंड (निधि/पूंजी) दिया गया था। जहाँ तक इन संस्थानों द्वारा प्राप्त की गइ रकम का संबंध है, वह इस प्रकार से हैः–

संस्थान	2013–14 (रू)	2014–15 (रू)	2015–16 (रू)
डी.ए.वी. कॉलेज सेक्टर–10,चंडीगढ़।	14,97,31,954/–	15,15,91,074/–	17,57,90,476/–
एम.सी.एम. डी.ए.वी. कॉलेज सेक्टर–36,चंडीगढ।	10,06,91,020/–	10,47,79,495/–	11,33,94,771/–
डी.ए.वी.सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर–8,चंडीगढ।	3,97,39,280/–	4,17,85,658/–	5,06,88,770/–

35. ये सारभूत/पर्याप्त रकम है और यह कॉलेजो/स्कूल के लगभग आधा खर्चों के बराबर है और जहाँ तक शिक्षण और अन्य कर्मचारियों का संबंध है, यह उस खर्चे के 95% से अधिक है। इसलिए, हमारी राय में, ये कॉलेज/स्कूल पर्याप्त/सारभूत रूप से वित्तपोषित है और अधिनियम की धारा 2 (एच) में दी गई परिभाषा के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण हैं।

सिविल अपील संख्याए 9844–9845/2013

सिविल अपील संख्याए 9846–9857/2013

सिविल अपील संख्या 9860/2013

36. जहाँ तक इन मामलों का संबंध है, उच्च न्यायालय के निर्णयों से हम पाते है कि सारभूत/पर्याप्त वित्तपोषण से संबंधित पहलूओ को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया है, जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा समझाया गया है। इसलिए, हालांकि हम यह मानते है कि ये निकाय गैर सरकारी संगठन है, यह मुद्दा कि क्या इनका सारभूत/पर्याप्त वित्तपोषण किया जाता है या नहीं, इस पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय दोनों पक्षों को दस्तावेज दाखिल करने का अवसर देगा और हमारे द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में इस मुद्दे पर निर्णय लेगा।

37. इन अवलोकनों के साथ, सभी अपीलों को पूर्वोक्त शर्तों में निपटाया जाता है। सिविल अपील संख्या 9828/2013 खारिज की जाती है। सिविल अपील संख्याए 9844–9845/2013; 9846–9857/2013 और 9860/2013 को यह निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा (प्रेषित) जाता है कि क्या ये संस्थान सारभूत/पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है या नहीं। उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं को वर्ष 2013 में दायर किया गया मानेगा और उन्हें तदनुसार प्राथमिकता देगा।

.....दीपक गुप्ता,
न्यायाधीश.

.....अनिरूद्ध बोस,
न्यायाधीश.

नई दिल्ली

सितंबर 17, 2019

××××××××

अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा ।

Disclaimer:-The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

Translated by Shri Vishal Kumar ,Translator and Typed by Neeraj Kumar Mishra. Senior Assistant.